

-सुनीलाल / सुहृदराज

# न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर [ राज० ]

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.5.19     | <p>पत्रावली देवा हुई। सरिस्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाये। अपील के साथ संलग्न स्वगत स्वगत शर्तिका - पत्र पर अधिसूचना अपीलान्टस की स्वपक्षीय सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में अपीलान्ट की अनुपस्थिति की टिप्पणी दर्ज है, जो सि बैच में ही गई है। पुनः दर्ज किया जाने का उचित पत्र भी इसी आधार पर स्वसिद्ध किया गया है। उक्त प्रकरण नहत अदालत उपरवठ अधिकारी निजारा में शर्ती। अपीलान्ट को अन्तिम रूप से मौका दिया जाकर पत्रावली का निरूतारण किया जाने हेतु उपस्थित किया जाता है साथ ही अपीलान्ट को आदेश दिया जाता है कि यदि वह अपनी शर्तिका के प्रति गंभीर हैं तो नहत न्यायालय में 15 दिवस में उपस्थित हों, अन्यथा वाद स्वसिद्ध समझा जाये। पत्रावली केवल शुभार होकर नम्बर से वस की जाये, वाद तयमील जाहला वारिष्ठ दफ्तर की जाये।</p> |

भू-प्रबन्ध अधिकारी  
राजस्व अपील अधिकारी  
अलवर